प्रेस विज्ञप्ति

6/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने शराब फर्जी चालान घोटाले की जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को 03.10.2025 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने कुछ शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर सरकारी खजाने के चालान में हेरफेर और जालसाजी के माध्यम से राज्य के खजाने को लगभग 49.42 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जाँच में एक धोखाधड़ी वाली योजना का पर्दाफ़ाश हुआ है जिसमें आरोपी ठेकेदारों ने शुरुआत में मामूली रकम वाले ट्रेजरी चालान जमा किए, लेकिन जानबूझकर "रुपये में शब्द" वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया। जमा करने के बाद, उन्होंने धोखाधड़ी से अंकों और शब्दों, दोनों में बढ़ा-चढ़ाकर रकम भर दी। इन जाली चालान प्रतियों को बाद में देशी शराब के गोदामों या जिला आबकारी कार्यालयों (विदेशी शराब के मामले में) में आबकारी शुल्क, मूल लाइसेंस शुल्क, या न्यूनतम गारंटी प्रतिबद्धताओं के भुगतान के झूठे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर, आरोपियों ने अवैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और शराब लाइसेंस अनुमोदन प्राप्त किए, जिससे राज्य सरकार को धोखा मिला।

अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत दोनों की पहचान मुख्य षड्यंत्रकारियों के रूप में की गई है, जिन्होंने इस धोखाधड़ीपूर्ण कार्यप्रणाली को रचा और उसे अंजाम दिया। इससे शराब ठेकेदारों को अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने और राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुँचाने में मदद मिली। दोनों आरोपियों को माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 08-10-2025 तक की हिरासत में भेज दिया गया है।

आगे की जाँच जारी है।